ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST | Vol. 3 | Issue 12 | December 2025
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i12.216

गौहत्या प्रतिबंध कानून - भारतीय राजनीति के संदर्भ में

नवनीत कुमार वर्मा[1]*
प्रोफेसर एवं शोध निर्देशक, राजकीय महाविद्यालय सिवाना, बालोतरा (राज.)
साक्षी पाराशर[2]
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, MLSU उदयपुर

***Corresponding Author Email Id:** drnavneetverma@gmail.com , sakshiparashar369@gmail.com

Abstract:

भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक जटिल समस्या है। यह केवल एक विधिक विषय नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौहत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्यों को गौवंश संरक्षण के लिए कानून संबंधी एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों ने गाय एवं उसके बछड़े की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और बैल व भैंस पर आंशिक अथवा पूर्ण नियंत्रण लागू किया है।

यह अध्ययन दर्शाता है कि भारतीय विधिक व्यवस्था में गौहत्या निषेध का प्रावधान गंभीर सजा और जुमार्ने के कारण से भले ही सुदृढ़ है, परंतु इसका क्रियान्वयन असमान, अधूरा और अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। जब इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर देखा जाता है, तो स्पष्ट होता है कि कानून और व्यवहार के बीच गहरी खाई मौजूद है। अवैध परिवहन, सीमापार तस्करी, अवैध बूचड़खाने और फॉरेंसिक जाँच की कमी जैसे पहलू दर्शाते हैं कि कठोर प्रावधानों के बावजूद तस्करी और अवैध वध की घटनाएँ निरंतर घटित होती रही हैं। कानून और जमीनी हकीकत के इस अंतर को समझना आवश्यक है ताकि एक ओर धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान हो और दूसरी ओर व्यावहारिक, मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नीतिगत समाधान विकसित किए जा सकें। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के हालिया मामलों से यह तथ्य पुष्ट होता है कि प्रतिबंधों के बावजूद एफआईआर और जब्त किया गया मांस इस समस्या की व्यापकता को उजागर करता है। साथ ही कानून का राजनीतिक और सांप्रदायिक उपयोग भी सामाजिक तनाव को बढ़ा देता है। अदालती फैसलों के बावजूद, ये कानून अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाए हैं। परिणाम यह है कि कानूनी सख्ती के बावजूद, भीड़ की हिंसा ने कानून के शासन को सीधे चुनौती दी है।

जब तक कानून आर्थिक वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करते और कानून प्रवर्तन अधिक निष्पक्ष नहीं होता, तब तक यह राष्ट्रीय चुनौती सुलझ नहीं सकती। इस विषय को केवल आस्था या वोट बैंक की राजनीति से नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान और संवैधानिक न्याय से हल होगा।

Keyword: गौहत्या प्रतिबंध, संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 48), गो-तस्करी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान सभा की बहसें, लिंचिंग, सामाजिक तनाव

INTRODUCTION

[1]भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध का मुद्दा एक जटिल और बहुआयामी बहस है, जो सिर्फ एक कानूनी प्रावधान से कहीं अधिक गहरा है। यह विषय ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के एक जटिल जाल में बुना हुआ है, जिसके कारण यह देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने में एक केंद्रीय स्थान रखता है। हिंदू धर्म में गाय को 'गौमाता' के रूप में एक पवित्र दर्जा प्राप्त है, जो इसकी सुरक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही माँगों का एक प्रमुख आधार है। यह

आस्था भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कृषि अर्थव्यवस्था की व्यवहारिक वास्तविकताओं के साथ अक्सर टकराती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गोहत्या प्रतिबंध का प्रावधान जिसके अंतर्गत राज्य को अधिकार प्रदान किया गया है। इसी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनों का एक स्पेक्ट्रम मौजूद है - एक तरफ जहाँ कुछ राज्यों, जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, में गोहत्या पर पूर्ण और सख्त प्रतिबंध है, वहीं दूसरी तरफ केरल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन क्या ये कानून वाकई काम कर रहे हैं? यह लेख गोहत्या पर प्रतिबंध के इसी विस्तृत और विरोधाभासी परिदृश्य का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। यह विश्लेषण संवैधानिक बहसों से शुरू होकर, प्रमुख अदालती फैसलों और विभिन्न राज्यों के कानूनों तक जाएगा। भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध कानून और जमीनी हकीकत आपस में टकराते हैं। एक तरफ जहाँ कानून गोवंश को बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अवैध बूचड़खाने और तस्करी जारी है।

हमारा उद्देश्य इस जटिल मुद्दे के पहलुओं को उजागर करना है, ताकि इस बात को समझा जा सके कि कानून की किताबों में दर्ज प्रावधान और जमीनी हकीकत में क्या अंतर है। इस जटिल कानूनी परिदृश्य की जड़ें केवल आर्थिक उपयोगिता में नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक और नैतिक संघर्ष में निहित हैं। गौहत्या पर प्रतिबंध का विषय महात्मा गांधी के विचारों के दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है । गाँधीजी के लिए गाय की रक्षा का सिद्धांत उनकी संपूर्ण जीवन-दृष्टि का केंद्र था। गाँधीजी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी दृष्टि में, गो-रक्षा का अर्थ है समस्त अवमानवीय जगत की रक्षा, जिसके माध्यम से मनुष्य को समस्त जीवजगत के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना है। उन्होंने गौमाता को जन्म देने वाली माता से भी श्रेष्ठ माना। वे कहते थे कि , "मैं पूरी दुनिया के खिलाफ इसकी पूजा का बचाव करुगा और गाय दया की कविता है। एक कोमल जानबर में दया पढ़ी जाती हैं। वह लाखों भारतीय मानव जाति की माँ है। गाय की रक्षा का अर्थ है की ईश्वर संपूर्ण मूल रचना की रक्षा "[1]

[2]इस गहरे नैतिक संबंध के कारण ही उन्होंने कहा था: "I hold that the question of cow slaughter... is of even greater moment than that of slavery. Cow slaughter and man slaughter are, in my opinion, two sides of the same coin." [2] यानि, गोहत्या और मनुष्य हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस गहन समर्पण के चलते, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि "अगर मैं बीफ या मटन नहीं खाऊँगा तो मुझे मरना पड़ेगा, भले ही डॉक्टरी सलाह पर ही क्यों न हो, तो मैं मरना पसंद करूँगा। यहीं मेरे शाकाहार का आधार है।" [3]

"गाय अवमानबीय सृष्टि का पवित्रतम रूप है वह प्राणियों में सबसे समर्थ अर्थात मनुष्य के हाथों न्याय पाने के बास्ते सभी अवमानवीय जीवों की ओर से हमसे गुहार करती हैं। यह अपनी आँखों की भाषा में हमसे कहती प्रतीत होती है : ईश्वर ने तुम्हें हमारा स्वामी इसलिए नहीं बनाया है कि तुम हमें मार डालों, हमारा मांस खाओ अथवा किसी अन्य प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार करो, बल्कि इसलिए बनाया है कि तुम हमारे मित्र तथा संरक्षक बनकर रहो "[4]

इस नैतिक अनिवार्यता के बावजूद, गाँधीजी गो-रक्षा के लिए कानूनन पाबंदी लगाने के तरीके को सबसे गौण पहलू मानते थे। वे तर्क देते थे कि किसी अज्ञानी या छोटे-से दुष्टबुद्धि तबके के खिलाफ बनाया गया कानून तो फिर भी कारगर हो सकता है, लेकिन ऐसा कानून कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसका विरोध समझदार और संगठित लोकमत द्वारा किया जा रहा हो या कोई कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वर्ग धर्म की आड़ लेकर कर रहा हो। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि: "लोग शायद यह सोचते हैं कि किसी बुराई के लिए कानून के पास होते ही यह बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के समाप्त हो जाएगी। इससे बड़ी आत्म प्रवंचना कोई और नहीं हो सकती।" उनका दृढ़ विश्वास था कि गोवध को कानून से कभी बंद नहीं किया जा सकता है; यह केवल ज्ञान, शिक्षा और गाय के प्रति दयाभाव से ही बंद किया जा सकता है।

अपने धर्म के प्रति उनका मत था कि गोरक्षा विश्व को हिंदू धर्म की देन है, और हिंदू धर्म तब तक जीवित रहेगा जब तक गोरक्षक हिंदू मौजूद हैं। वे हिंदुओं की परख उनके तिलक, मंत्रों या जात-पात के नियमों के औपचारिक पालन से नहीं, बल्कि गाय की रक्षा करने की उनकी योग्यता के आधार पर करने को कहते थे ।[5] हालाँकि, इस धार्मिक महत्व को बनाए रखते हुए भी वे अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग थे। उन्होंने कहा था कि "जिस प्रकार मैं किसी मनुष्य को नहीं

मारूंगा उसी प्रकार मनुष्य की रक्षा के लिऐ उसका जीवन चाहे जितना मूल्यहीन हो, गाय का वध नहीं करूंगा।" उनका यह कथन स्पष्ट करता है कि गो-रक्षा एक नैतिक कर्तव्य है जिसे केवल प्रेम और आत्म-शुद्धि से ही सिद्ध किया जा सकता है, न कि जबरदस्ती या हिंसा से।

[3]संविधान और गोहत्या कानून का मूल

24 NOV. 1948 को पं. ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा के पटल पर निम्न संशोधन रखा —

"38 (क) - राज्य कृषि तथा पशु पोषण की आधुनिक तथा वैज्ञानिक रीति से व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और मवेशी भी नस्ल में सुधार करने तथा उसके परिरक्षण करने की विशेषकर कार्यवाही करेगा और गाय तथा अन्य उपयोगी मवेशी विशेषकर दूध देने वाली और न देने वाली मवेशी व उनके बच्चों के वध निषेध करेगा।"

पं. ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा में बताया कि, "ये मामला Fundamental Rights में आ जाता लेकिन कुछ मेरे असेम्बली के दोस्तों को इख्तिलाफ था और डॉ. अम्बेडकर, की ख्वाहिश है कि ये मामला Directives Principles में रखा जाऐ बजाए Justiciable fundamental rights के।"[6]

फिर सेठ गोविन्द दास जी ने अपना सुधार पेश किया यह है:

That in amendment NO. 1002. of the list of Amendments in Article 38-A , The words

'And other useful cattle, specially milch cattle and of child bearing age, young stocks and draught cattle 'be deleted and the following be added at the end:

"The words "Cow" includes bulls, bullocks, young stock of genus cow." [7]

उन्होने कहा कि "गौवध हमारा धार्मिक प्रश्न ही नहीं है वह हमारा सांस्कृतिक प्रश्न भी है और आर्थिक प्रश्न भी है।" वे चाहते थे कि इस प्रश्न या कब जैसे से प्रश्नों का निबटारा जनता की राय के अनुसार होना चाहिए। referendum जनमत ले लिया जाए और देखा जाए की उन प्रश्नों पर हमारे देश की जनता क्या कहती है।

Z.H. लारी (संयुक्त प्रांत : मुस्लिम) को भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होने भाषण दिया कि -"यह प्रार्थना है कि वे स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करदे और विषय को संदिग्ध दशा अथवा संदेहावस्था में न छोड़े।... मैं यह नहीं चाहता कि यह दिखाया जाए कि लोग कुछ काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और मन में ये बात रखी जाए कि वे वैसा काम ना करें।" [8]

[4] सभा से मेरा निजी आग्रह यह है कि आगे बढ़ कर मौलिक अधिकारों में एक खंड रखना अधिक उपयुक्त अपेक्षाकृत इसके कि निदेशक सिद्धांतों में इसे अस्पष्ट रूप में छोड़ दिया जाऐं।

सैयद मोहम्मद सादुल्ला (असम मुस्लिम) ने भी यह कहा कि जो गोवध को रोकने का कानून बनाना चाहते हैं, वे ये स्वीकार करें कि यह हमारे धर्म का अंग है। गोवध से रक्षा की करनी चाहिए। मैं अपने विधान निर्माताओं का भी मार्ग नहीं रोकना चाहता । [9]

सभी के विचार सुनने के बाद तथा पर्याप्त वाद-विवाद के बाद सेठ गोविन्ददास जी के संशोधन संख्या 73 सूची 2, पर मत लिया गया। परिणाम में संशोधन अस्वीकार हो गया। अब सूची 2, पं ठाकुर दास के संशोधन संख्या 72 पर मत लिया उसे स्वीकार कर लिया गया।

कानूनी प्रावधान और दंड

गौहत्या पर प्रतिबंध के मामले में भारत के सभी राज्यों की स्थिति अलग-अलग है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ किसी भी गोवंश (गाय, बछडा , बैल, सांड आदि) का वध नहीं किया जा सकता। 5 राज्यों में गोहत्या पर कुछ प्रतिबंध हैं। जहाँ बूढ़े, बीमार या अनुपयोगी गोवंश के वध की अनुमति एक विशेष प्रमाण पत्र के बाद की दी जाती है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

गौहत्या पर प्रतिबंध वाले राज्यों में, सिर्फ गौहत्या ही नहीं बल्कि गोमांस को रखना बेचना या परिवहन करना भी एक गंभीर अपराध है।

Burden of Proof - कुछ राज्यों में कानून ये जिम्मेदारी आरोपी पर डालता है कि वह साबित करे कि उसके पास जो मांस मिला है वह गोमांस नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है।

1. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कानून सबसे सख्त कानूनों में से एक है। गाय या उसके बछड़े के वध का प्रयास करना, या वध करना एक गंभीर अपराध है। इस अपराध के लिए न्यूनतम 3 साल से अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के उल्लंघन में उपयोग किए गए वाहन को जब्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो सजा दोगुनी हो सकती है। गोमांस को रखना, बेचना या परिवहन करना भी अपराध है, और इसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है। [10]

2. हरियाणा

हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन अधिनियम, 2015 गोवंश के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है। गोहत्या एक अपराध है। इस अपराध के लिए 3 साल से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून में यह भी कहा गया है कि गोमांस के परिवहन, निर्यात और बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। किसी भी गोवंश को राज्य से बाहर ले जाने के लिए पुलिस से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। पुलिस के पास कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने की शक्ति है। [11]

3. गुजरात

गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017 कानून भी गोहत्या के खिलाफ बहुत कड़ा इस अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।कानून के अनुसार, गोमांस का परिवहन, बिक्री या प्रदर्शन भी अपराध है। गोवंश की तस्करी और परिवहन को रोकने पर विशेष जोर दिया गया है। [12]

4. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत कानून 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। [13]

5. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत गाय के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है। 5 साल तक की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। इस कानून के तहत गोमांस रखने को भी अपराध माना गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। हालांकि, गोमांस बेचने या परिवहन करने पर अभी भी प्रतिबंध है। [14]

[5]अदालतों की भूमिका और कानूनी चुनौतियां

भारत में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण मुकदमें हुए हैं कि जिन पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने कानूनी बहस की दिशा और गोहत्या कानून के दायरे को स्पष्ट करते हैं।

1. मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 -

इस मामले में, बिहार, U.P., M.P के कानूनों को चुनौती दी जिनमें गायों और उनके बच्चों के बध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया । अदालत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गायों और बछड़ों के बध पर पूर्ण प्रतिबंध को वैध माना साथ में अनुपयोगी बैलों और सांडों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना उचित नहीं समझा । [15]

2. गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाव जमात 2005 -

गुजरात सरकार ने संशोधन कर सभी गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुऐ गुजरात सरकार को वैधता दी। इस फैसले ने अनुच्छेद 46 के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया। [16]

3. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लाहिड़ी 1994 –

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बकरीद के दौरान गोहत्या पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने फैसला सुनाया कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन यह कानून से ऊपर नहीं हो सकते । यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) और गोहत्या कानून के बीच के संतुलन को दर्शाता है। [17]

4. महाराष्ट्र हाई कोर्ट का फैसला 2016 -

बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में गोमांस रखने और खाने पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया था, लेकिन गोहत्या पर प्रतिबंध को बरकरार रखा । कोर्ट ने कहा कि किसी की खाने की आदतें उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। [18]

5. गौरक्षा से जुड़ी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट 2018 -

[6] तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत सरकार के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गौ-रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए । [19]

केंद्र सरकार और कानून

भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 में नीति निर्देशक राज्यों को निर्देश देते है कि वे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और कृषि के काम आने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएँ। ये सीधे तौर पर कोई कानून नहीं है जो पूरे देश पर लागू हो, लेकिन यह एक निर्देश है जिस पर राज्य अपने कानून को बनाते हैं।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960" (PCA Act) यह एक केंद्रीय कानून है जो सरकार को जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और कैसे उनका परिवहन किया जाए, इस पर नियम बनाने की अनुमति देता है। ये कानून सीधे तौर पर गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाता बल्कि ये जानवरों के साथ क्रूरता को रोकने के लिए वध की शर्तों को स्थापित करता है।इसी अधिनियम के माध्यम से, न कि "गोहत्या" पर सीधे संवैधानिक अधिकार के तहत, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को नियंत्रित करने की कोशिश की है। [20]

इस दृष्टिकोण के कानूनी और तथ्यात्मक विवरण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दो प्रमुख नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है।

1.पशु क्रूरता निवारण (पशु बाजार नियमन) नियम, 2017

यह नियम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसका घोषित उद्देश्य पशु बाजारों में जानवरों को क्रूरता से बचाना था, जिसके लिए जानवरों की देखभाल और बिक्री के लिए नए नियमों की आवश्यकता थी। हालाँकि, सबसे विवादास्पद प्रावधान ये थे:

- नियम 22(ख): इस नियम में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को एक लिखित घोषणा देनी होगी कि वह किसी जानवर को वध के उद्देश्य से नहीं बेचेगा।
- नियम 22(ङ): इस नियम में कहा गया था कि जानवर खरीदने वाले व्यक्ति को एक किसान होना चाहिए और उसे जिला प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेनी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि वह जानवर को कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद रहा है, न कि वध के लिए। [21]

[7]इसके अन्तर्गत पशु बाजारों में वध के उद्देश्य से मवेशियों की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि 'किसान और व्यापारी इन बाजारों में मवेशियों को लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों या उनके एजेंटों को नहीं बेच सकते थे। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम पर रोक लगा दी।

2. पशु क्रूरता निवारण (मामले की संपत्ति वाले जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम,2017

ये नियम इस बात से संबंधित थे कि पुलिस द्वारा छापे (अवैध वध या परिवहन के लिए) के दौरान जब्त किए गए जानवरों को कैसे संभाला जाना चाहिए। नियमों में यह अनिवार्य किया गया था कि जब्त किए गए जानवर को तुरंत एक सरकारी या प्रमाणित निजी "गौशाला" (पशु आश्रय) में भेजा जाए। इसके बाद, मालिक या जिस व्यक्ति से जानवर जब्त किया गया था, उसे कानूनी मामले के चलने तक गौशाला में जानवर के रखरखाव का भुगतान करना होगा। इस नियम को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2023 के एक आदेश में, कोर्ट ने विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा दी, उन्हें "प्रथम दृष्टया मनमाना" (prima facie arbitrary) बताया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये नियम प्रभावी रूप से आरोपी को दोषी पाए जाने से पहले ही दंडित करते थे और वित्तीय शोषण का मार्ग प्रशस्त करते थे। कोर्ट का यह फैसला जमीनी स्तर पर कानून के दुरुपयोग को सीधे तौर पर स्वीकार करता है । [22]

कानून और जमीनी हकीकत में अन्तर

गौ संरक्षण के लिए कई कडे कानून और दंड का प्रावधान होने के बावजूद, भारत में गोहत्या और गोमांस की तस्करी का अवैध कस कारोबार जारी है। ज़मीनी स्तर पर कई बार कानून का राजनीतिक या सांप्रदायिक इस्तेमाल होता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ताहै। क्रियान्वयन कागज़ पर पुलिस, प्रशासन और विशेष टास्क फोर्स की जिम्मेदारी तय है। व्यवहार में भ्रष्टाचार, ढीला अमल और राजनीतिक दबाव के कारण लागू करना मुश्किल।

U.P. में 2017 में नई सरकार के आने के बाद अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही शुरू की गई। विभिन्न राज्यों की पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोहत्या पर सख्त कानून होने के बावजूद, शहरों और ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं। ये बड़ी संख्या में अवैध बूचड़खाने कानून के कमजोर क्रियान्वयन का सबसे बड़ा सबूत हैं। सीमावर्ती राज्यों में तस्करी और अंतरराज्यीय परिवहन आम है क्योंकि एक राज्य में प्रतिबंध है तो पड़ोसी राज्य में छूट। U.P. और हरियाणा से तस्करी के मामले अक्सर सामने आते हैं। जनवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच यूपी पुलिस ने करीब 1,200 गो-तस्करी के मामले दर्ज किए हैं।[23] गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन यह संख्या यह दिखाती है कि तस्करी/अवैध गतिविधियाँ अभी भी बहुत व्यापक हैं। महाराष्ट्र में, 2022 से जून 2025 तक 2,849 मामले दर्ज किए गए हैं गौहत्या / गो-पालन / गो-मांस के परिवहन और बिक्री से जुड़े। इस दौरान 1,724 टन मांस जब्त किया गया। [24] गुड़गांव-नूह क्षेत्र में एक व्यक्ति को गौ-तस्करी करने और पुलिस पर गोली चलाने के मामले में 5 वर्ष की सख़्त सजा हुई है। [25] पश्चिम बंगाल में कुछ वाहन पकड़े गए थे जिनमें 27 गायें (cows) बांग्लादेश भेजे जाने के लिए ले जाई जा रही थीं, और 15 लोग गिरफ्तार हुए थे।[26] भीड़ द्वारा हिंसा और लिंन्चिंग के मामले भी सामने आते हैं। जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अखलाक मामला, दादरी (28 sep. 2015) U.P.[27] तथा पहलू खान मामला, राजस्थान (1 april 2017) [28] इसी तरह कई मामले भी हैं। सज़ा का प्रावधान भारी है, परंतु न्यायिक स्तर पर दोषसिद्धि दर कम होने से इसका असर घट जाता है।

CONCLUSION

भारत में गोहत्या से जुड़े कानूनों, उसके उल्लंघन और उनसे जुडी हिंसक घटनाओं का विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कानून के बनने और उसके जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई मौजूद है। जहाँ एक तरफ राज्य सरकारों ने गोवंश की रक्षा का प्रयास कड़े कानून बनाकर किया है वहीं दूसरी तरफ संगठित तस्करी और गौ- रक्षा के नाम पर अवैध व्यापार होने वाली लिंचिंग की घटनाओं ने इस कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं।

इस समस्या की जड़ें कई जटिल पहलुओं में निहित हैं:-

प्रशासनिक विफलता - कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर कमजोर होता है। विभिन्न राज्यों के अलग-अलग कानून होने से तस्करों को सीमा पार करने का मौका मिल जाता है, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

आर्थिक दबाव - ये कानून किसानों पर अनुपयोगी पशुओं को पालन का भारी आर्थिक बोझ डालते हैं जिसमें उन्हें इन पशुओं को छोड़ने या अवैध रूप से बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी वजह से आवारा पशुओं की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

REFERENCE

[1]. M. Gandhi, "The Cow is a Poem of Pity," in The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 21, New Delhi, India: Publications Division, Government of India, 2005, p. 248. (Reprinted from Young India, Oct. 6, 1921, p. 36).

[2]. M. Gandhi, "LET HINDUS BEWARE," in The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 20, New Delhi, India: Publications Division, Government of India, 2005, p. 110. (Reprinted from Young India, May 18, 1921, p. 156).

[3]. M. Gandhi, "The Basis of my faith," in The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 48, New Delhi, India: Publications Division, Government of India, 2005, p. 328. (Reprinted from Letter to the London Vegetarian Society, Nov. 20, 1931).

[4]. M. Gandhi, "News to Me," in The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 24, New Delhi, India: Publications Division, Government of India, 2005, p. 299. (Reprinted from Young India, June 26, 1924, p. 214).

[5]. M. Gandhi, "Hinduism," in The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 21, New Delhi, India: Publications Division, Government of India, 2005, p. 248. (Reprinted from Young India, Oct. 6, 1921, p. 36).

[6]. India, "Constituent Assembly Debates", vol. VII, Nov. 24, 1948, New Delhi, India: Lok Sabha Secretariat, Government of India, 1950, p. 781.

[7]. India, "Constituent Assembly Debates", vol. VII, Nov. 24, 1948, New Delhi, India: Lok Sabha Secretariat, Government of India, 1950, p. 786.

[8]. India, "Constituent Assembly Debates", vol. VII, Nov. 24, 1948, New Delhi, India: Lok Sabha Secretariat, Government of India, 1950, p. 799.

[9]. India, "Constituent Assembly Debates", vol. VII, Nov. 24, 1948, New Delhi, India: Lok Sabha Secretariat, Government of India, 1950, p. 801.

[10]. Uttar Pradesh, "The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955", U.P. Act No. 1 of 1956 (as amended by Ordinance No. 11 of 2020), Lucknow, India: Law and Legislative Affairs Department, Government of Uttar Pradesh.

[11]. Haryana, "The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015", Act No. 20 of 2015, Chandigarh, India: Law and Legislative Affairs Department, Government of Haryana.

[12]. Gujarat, "The Gujarat Animal Preservation Act, 1954" (Bom. Act No. 72 of 1954, as amended by Guj. 18 of 2017), Gandhinagar, India: Legislative and Parliamentary Affairs Department, Government of Gujarat.

[13]. Madhya Pradesh, "The Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004" (Act No. 6 of 2004), Bhopal, India: Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh.

[14]. Maharashtra, "The Maharashtra Animal Preservation Act, 1976" (Act No. 9 of 1977, as amended by Mah. 5 of 2015), Mumbai, India: Law and Judiciary Department, Government of Maharashtra.

[15]. Mohd. Hanif Quareshi & Ors.v. State of Bihar, AIR 1958 SC 731, Supreme Court of India, Decided Apr. 23, 1958.

[16]. State of Gujarat v. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat, (2005) 8 SCC 534, Supreme Court of India, Decided Oct. 26, 2005.

[17]. State of West Bengal v. Ashutosh Lahiri, (1995) 1 SCC 189, Supreme Court of India, Decided Nov. 16, 1994.

[18]. Shaikh Zahid Mukhtar v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 2600, Bombay High Court, Decided May 6, 2016.

[19]. Tehseen S. Poonawalla v. Union of India, (2018) 9 SCC 501, Supreme Court of India, Decided July 17, 2018.

[20]. India, "The Prevention of Cruelty to Animals Act", 1960, Act No. 59 of 1960, The Gazette of India, New Delhi, India: Published by the Controller of PublicationsParliament of India.

[21]. India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, "Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017," The Gazette of India: Extraordinary, Part II-Sec. 3(i), New Delhi, India: Published by the Controller of Publications, May 23, 2017.

[22]. Federation of Indian Animal Protection Organisations (FIAPO) v. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 377 of 2017, Supreme Court of India, July 11, 2017.

[23]. "699 cases of cow slaughter, 1,200 of cattle smuggling registered between Jan 2024 and Aug 2025: UP police," The Print, Sep. 16, 2025. https://theprint.in/opinion/699-cases-of-cow-slaughter-1200-of-cattle-smuggling-registered-between-jan-2024-and-aug-2025-up-police/2744711/

[24]. "Govt to form SIT to probe beef smuggling in Maharashtra,"HindustanTime. July15,2025. https://share.google/3zkpxjEvYJY0t0DqA

[25]. "Man sentenced to 5 years for cattle smuggling and firing at police in Gurgaon," Times of India, Mar. 27, 2025. Gurgaon NewsTheTimesofIndia https://share.google/5eiqMYulXGJfmuTir

[26]. R.Saha,"27 cows rescued: West Bengal police foil cattle smuggling bid, 15 arrest," India Today, May 23, 2025. India Today https://share.google/W7g9ZVVjSh31jQDI2

[27]. "Indian man lynched over beef rumours," BBC News, Sep. 30, 2015. https://share.google/21mEx9wfRQuLhmCDB

[28]. "Pehlu Khan lynching case: HC issues warrants against accused"–TheHindu https://share.google/DiTnwDTsi0SOZROJ9

Cite this Article

***साक्षी पाराशर, नवनीत कुमार वर्मा, "गौहत्या प्रतिबंध कानून – भारतीय राजनीति के संदर्भ में"**, International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 3, Issue 12, pp. 72-79, December 2025.*

***Journal URL:** https://ijmrast.com/*

***DOI:** https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i12.216*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.